न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)
पीठासीन अधिकारी :- मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा पत्र संख्या	प्रस्तुत दिनांक	निर्णय दिनांक
60 / 2023	08.02.2023	27.01.2023

उनवान

1. नारायणदास चेला श्यामदास जाति अहीर निवासी महर्षि बाबा बलदेवदास उदासीन आश्रम खेड़ा डाबर दक्षिण - पश्चिम दिल्ली-110073।

वादी।

बनाम

1. कल्याण सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कोलीला जोगा तह0 नीमराना।
2. अंगुरू देवी पत्नी मामचन्द जाति महाजन सा0कोलीला जोगा तह0 नीमराना।
3. आलम पुत्र अब्दुलरहमान जाति सक्का निवासी कोलीला जोगा तह0 नीमराना।
4. इमामुदीन पुत्र अब्दुलरहमान जाति सक्का निवासी कोलीला जोगा तह0 नीमराना।
5. कान्ता बाई पुत्री मामचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम कोलीला जोगा तह0 नीमराना।
6. छाजूराम पुत्र मामचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम कोलीला जोगा तह. नीमराना।
7. दयाराम पुत्र मुगली जाति अहीर निवासी ग्राम निवासी ग्राम कोलीला जोगा तह. नीमराना।
8. निहालसिंह पुत्र श्योनारायण जाति अहीर निवासी ग्राम कोलीला जोगा तह0 नीमराना।
9. पवन कुमार पुत्र मामचन्द जाति अहीर महाजन निवासी ग्राम कोलीला जोगा तह0 नीमराना।
10. फतेहचन्द पुत्र कुन्दनलाल जाति महाजन निवासी ग्राम कोलीला जोगा तह.नीमराना।
11. बनेसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कोलीला सांगा तह0 नीमराना।
12. मागनसिंह पुत्र रतीराम जाति अहीर निवासी ग्राम कोलीला सांगा तह. नीमराना।
13. राजबाला पुत्री मामचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम कोलीला सांगा तह. नीमराना।
14. शेखमोहम्मद पुत्र अब्दुलरहमान जाति सक्का निवासी कोलीला जोगा तह0 नीमराना।
15. सतेन्द्र कुमार पुत्र जयरामसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कोलीला सांगा तह0 नीमराना।
16. सोमदत पुत्र रामप्रसाद जाति अहीर निवासी ग्राम कोलीला सांगा तह0 नीमराना।
17. उपपंजीयक नीमराना।
18. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना।
19. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बड़ौद तह0बहरोड जिला अलवर।

प्रतिवादीगण।

दावा तकसीम एवं हु.इ.दवामी अंतर्गत धारा 53,88,89,188 189 आर0टी0एक्ट0

उपस्थितिः

1. श्री रवीन्द्र सामरिया एड. वादी की ओर से।
2. श्री मुकेश यादव एड.प्रतिवादी स. 07,08,15,16 की ओर से।

—::निर्णय::—

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है—

1. वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 हाल 120 / 01.59 वाके ग्राम कोलीला सांगा तह0 नीमराना मे मिन वादी का 1 / 4 हिस्सा है तथा शेष हिस्सा सहखातेदारान का है। उक्त ख.न. के तीन तरफ सरकारी रास्ता है, विवादित आराजी का मौके पर कदीम से ही बाहमी बंटवारा किया हुआ है बाहमी बंटवारा के अनुसार वादी अपने 1 / 4 हिस्से पर तरफ उत्तर मे काबिज है तथा 3 / 4 हिस्से

...ड अधिकारी
...ना (अलवर)

Sidd/2023

पर तरफ दक्षिण मे प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज है। लेकिन आराजी मुतनाजा रिकॉर्ड मे सहखातेदारी मे दर्ज होने के कारण प्रतिवादीगण मिन वादी के हिस्से पर काश्त करने मे बिना वजह मजाहमत पैदा करते है तथा जबरन कब्जा करना चाहते है। मिन वादी ने बाहमी बंटवारा के अनुसार रिकार्ड मे बंटवारा कराने के लिए प्रतिवादीगण से कहा तो दिनांक 18.01.2023 को बंटवारा कराने से साफ इंकार हो गये तथा मिन वादी को जबरन बेदलख कर कब्जा करने की धमकी दी है इसलिए वादी को यह वाद तकासमा आराजी मय हु0ई0दवामी पेश करना लाजिम आया है।

2. अंत मे वादी ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने की प्रार्थना कि है:—
(क) डिक्री तकसीम आराजी इस अमर की फरमाई जावे कि आ.ख.नं. हाल 120/01. 59 वाके ग्राम कोलीला सांगा तह0 मे मिन वादी के खातेदारी हिस्सा 1/4 का बाहमी बंटवारे के मुताबिक तकासमा किया जाकर तरफ उत्तर मे मिन वादी का अलग से तिलबा काटा जाकर वादी को दखल दिलाया जावे। एंव जिस खातेदार के हिस्से पर बैक रहन का अंकन है उसको उसी खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जाकर अलग अलग खाताबंदी की जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर तिल्मबा काटे जाने के आदेश फरमाये जावे।

(ख) प्रतिवादीगण को जरिए हुक्म ईम्तनाइ दवानी पाबन्द किया जावे कि वे विवादित आराजी का जब तक विधिवत रूप से तकासमा ना हो जावे तब तक मौके व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाए रखे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण दिलाया जावे।

(घ) अन्य अनुतोष जो बय नजदीक अदालत श्रीमान हो अता फरमाया जावे ।

3. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। बाद तामिल प्रतिवादीगण सं. 07, 08, 15,16 ने जवाब दावा पेश कर वादी के वाद को अस्वीकार करते हुए बताया कि आराजी विवादित का मौके पर बाहमी बंटवारा किया हुआ है तथा बंटवारे के अनुसार ही मौके पर काबिज है। यदि बाहमी बंटवारा के अनुसार रिकॉर्ड मे बंटवारा किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है।

4. जवाब प्रस्तुत होने के बाद उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर दिनांक 26.06.2023 को वाद प्रा0डिक्री किया जाकर तहसीलदार,नीमराना से मौके पर कब्जे काश्तानुसार कुर्रे कायम किये जाकर कुर्रे कामयी रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेश दिये गये। तहसीलदार,नीमराना ने अपने पत्र कमांक भू0अ0/2023/2223 दिनांक 13.07.2023 को कुर्रे कायम कर कुर्रे कायमी रिपोर्ट भिजवाई गई जो सामिल पत्रावली की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई,कुर्रे कामयी रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नही कि गई। कुर्रे कायमी रिपोर्ट के आधार पर वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। कुर्रे कायमी रिपोर्ट अनुसार वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

5. अतः आदेश है किः
वाद वादी बाबत तकासमा आराजी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट डिक्री किया जाता है कि पक्षकारान के नाम के समुंख अंकित आराजी वाके ग्राम कोलीला सांगा तह.नीमराना उनके कब्जे काश्त खातेदारी मे निम्नानुसार रहेगी :—

[signature]
(उपख)ण्ड अधिकारी
(नी)मराना (अलवर)

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	वि0वि0
1.	1. नारायणदास चेला ध्यानदास हि0 संपूर्ण जाति अहीर सा0महर्षि बाबा बलदेवराम उदासीन आश्रम खेडा डाबर द0प0 दिल्ली 110073।	120/1	0.3975	
2.	1. मागनसिंह पुत्र रतिराम हि. संपूर्ण जाति अहीर सा0देख खातेदार राहिन पी0एन0बी0 नीमराना।	120/2	0.3975	
3.	1. दयाराम पुत्र मुगली हि0 1/4 जाति अहीर सा0देह खातेदार। 2. निहाल सिंह पुत्र श्योनारायण हि0 1/4 जाति अहीर सा0देह खातेदार। 3. सतेन्द्र कुमार पुत्र जयरामसिंह हि0 1/4 जाति राजपूत सा0कोलीला जोगा खातेदार 4. सोमदत कुमार पुत्र रामप्रसाद हि. 1/4 जाति अहीर सा0देह खातेदार।	120/4	0.1358	
4	1. अंगुरी बाई पत्नी मामचन्द हि0 132/6592 जाति महाजन सा0 कोलीला जोगा। 2. कान्ता बाई,राजबाला पुत्रीयान मामचन्द हि0 265/6592 जाति महाजन सा0 कोलीला जोगा। 3. छाजूराम, पवन कुमार पुत्रान मामचन्द हि0 265/6592 जाति महाजन सा0 कोलीला जोगा। 4. इमामद्दीन, आलम, शेरमोहम्मद पुत्रान अब्दुलरहमान हि0 496/6592 जाति सक्का सा0 कोलीला जोगा खातेदार। 5. कल्याणसिह पुत्र प्रहलादसिंह हि0 796/6592 जाति राजपूत सा0 कोलीला जोगा खातेदार राहिन पी0एन0बी0 बर्डोद 6. फतेहचन्द पुत्र कुन्दनलाल हि0 663/6592 जाति महाजन सा0 कोलीला जोगा खातेदार। 7. बनेसिंह पुत्र गणपतसिंह हि. 3975/6592 जाति राजपूत सा0देह खातेदार राहिन पी0एन0बी0 शाखा बर्डोद।	120/3	0.6592	

उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है,खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार हो कर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

27/7/2023

मुकुल सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा पत्र संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
60/2023	08.02.2023	27.07.2023

उनवान

1. नारायणदास चेला ध्यानदास जाति अहीर निवासी महर्षि बाबा बलदेवदास उदासीन आश्रम खेड़ा डाबर दक्षिण– पश्चिम दिल्ली–110073।

वादी।

बनाम

1. कल्याण सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कोलीला जोगा तह0 नीमराना।
2. अंगुरू देवी पत्नी मामचन्द जाति महाजन सा0कोलीला जोगा तह0 नीमराना।
3. आलम पुत्र अब्दुलरहमान जाति सक्का निवासी कोलीला जोगा तह0 नीमराना।
4. इमामुदीन पुत्र अब्दुलरहमान जाति सक्का निवासी कोलीला जोगा तह0 नीमराना।
5. कान्ता बाई पुत्री मामचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम कोलीला जोगा तह0 नीमराना।
6. छाजूराम पुत्र मामचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम कोलीला जोगा तह. नीमराना।
7. दयाराम पुत्र मुगली जाति अहीर निवासी ग्राम निवासी ग्राम कोलीला जोगा तह. नीमराना।
8. निहालसिह पुत्र श्योनारायण जाति अहीर निवासी ग्राम कोलीला जोगा तह0 नीमराना।
9. पवन कुमार पुत्र मामचन्द जाति अहीर महाजन निवासी ग्राम कोलीला जोगा तह0 नीमराना।
10. फतेहचन्द पुत्र कुन्दनलाल जाति महाजन निवासी ग्राम कोलीला जोगा तह.नीमराााना।
11. बनेसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कोलीला सांगा तह0 नीमराना।
12. मामनसिंह पुत्र रतीराम जाति अहीर निवासी ग्राम कोलीला सांगा तह. नीमराना।
13. राजबाला पुत्री मामचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम कोलीला सांगा तह. नीमराना।
14. शेखमोहम्मद पुत्र अब्दुलरहमान जाति सक्का निवासी कोलीला जोगा तह0 नीमराना।
15. सतेन्द्र कुमार पुत्र जयरामसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कोलीला सांगा तह0 नीमराना।
16. सोमदत पुत्र रामप्रसाद जाति अहीर निवासी ग्राम कोलीला सांगा तह0 नीमराना।
17. उपपंजीयक नीमराना।
18. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना।
19. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बर्डोद तह0बहरोड जिला अलवर।

प्रतिवादीगण।

दावा तकसीम एवं हु.इ.दवामी अंतर्गत धारा 53,88,89,188 189 आर0टी0एक्ट0

उपस्थितिः

श्री रवीन्द्र सामरिया एड. वादी की ओर से।

श्री मुकेश यादव एड.प्रतिवादी सं. 07,08,15,16 की ओर से।

दिनांकः 27.07.2023

प्रारंभिक पर्चा डिक्री

वाद वादी बाबत तकासमा आराजी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट डिक्री किया जाता है कि पक्षकारान के नाम के समुंख अंकित आराजी वाके ग्राम कोलीला सांगा तह.नीमराना उनके कब्जे काश्त खातेदारी मे निम्नानुसार रहेगी :–

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं	रकबा	[illegible]
1.	1. नारायणदास चेला ध्यानदास हि0 संपूर्ण जाति अहीर सा0महर्षि बाबा बलदेवराम उदासीन आश्रम खेडा डाबर द0प0 दिल्ली 110073।	120/1	0.3975	
2.	1. मामनसिंह पुत्र रतिराम हि. संपूर्ण जाति अहीर सा0देख खातेदार राहिन पी0एन0बी0 नीमराना।	120/2	0.3975	
3.	1. दयाराम पुत्र मुगली हि0 1/4 जाति अहीर सा0देह खातेदार। 2. निहाल सिंह पुत्र श्योनारायण हि0 1/4 जाति अहीर सा0देह खातेदार। 3. सतेन्द्र कुमार पुत्र जयरामसिंह हि0 1/4 जाति राजपूत सा0कोलीला जोगा खातेदार 4. सोमदत कुमार पुत्र रामप्रसाद हि. 1/4 जाति अहीर सा0देह खातेदार।	120/4	0.1358	
4	1. अंगुरी बाई पत्नी मामचन्द हि0 132/6592 जाति महाजन सा0 कोलीला जोगा। 2. कान्ता बाई,राजबाला पुत्रीयान मामचन्द हि0 265/6592 जाति महाजन सा0 कोलीला जोगा। 3. छाजूराम, पवन कुमार पुत्रान मामचन्द हि0 265/6592 जाति महाजन सा0 कोलीला जोगा। 4. इमामददीन, आलम, शेरमोहम्मद पुत्रान अब्दुलरहमान हि0 496/6592 जाति सक्का सा0 कोलीला जोगा खातेदार। 5. कल्याणसिह पुत्र प्रहलादसिंह हि0 796/6592 जाति राजपूत सा0 कोलीला जोगा खातेदार राहिन पी0एन0बी0 बर्डोद 6. फतेहचन्द पुत्र कुन्दनलाल हि0 663/6592 जाति महाजन सा0 कोलीला जोगा खातेदार। 7. बनेसिंह पुत्र गणपतसिंह हि. 3975/6592 जाति राजपूत सा0देह खातेदार राहिन पी0एन0बी0 शाखा बर्डोद।	120/3	0.6592	

उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा पत्र संख्या	रजू दिनांक	प्रारंभिक निर्णय दिनांक
60 / 2023	08.02.2023	26.06.2023

उनवान

1. नारायणदास चेला ध्यानदास जाति अहीर निवासी महर्षि बाबा बलदेवदास उदासीन आश्रम खेडा डाबर दक्षिण— पश्चिम दिल्ली—110073।

वादी।

बनाम

1. कल्याण सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कोलीला जोगा तह0 नीमराना।
2. अंगुरू देवी पत्नी मामचन्द जाति महाजन सा0कोलीला जोगा तह0 नीमराना।
3. आलम पुत्र अब्दुलरहमान जाति सक्का निवासी कोलीला जोगा तह0 नीमराना।
4. इमामुदीन पुत्र अब्दुलरहमान जाति सक्का निवासी कोलीला जोगा तह0 नीमराना।
5. कान्ता बाई पुत्री मामचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम कोलीला जोगा तह0 नीमराना।
6. छाजूराम पुत्र मामचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम कोलीला जोगा तह. नीमराना।
7. दयाराम पुत्र मुगली जाति अहीर निवासी ग्राम निवासी ग्राम कोलीला जोगा तह.नीमराना।
8. निहालसिह पुत्र श्योनारायण जाति अहीर निवासी ग्राम कोलीला जोगा तह0 नीमराना।
9. पवन कुमार पुत्र मामचन्द जाति अहीर महाजन निवासी ग्राम कोलीला जोगा तह0 नीमराना।
10. फतेहचन्द पुत्र कुन्दनलाल जाति महाजन निवासी ग्राम कोलीला जोगा तह.नीमराााना।
11. बनेसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कोलीला सांगा तह0 नीमराना।
12. मामनसिंह पुत्र रतीराम जाति अहीर निवासी ग्राम कोलीला सांगा तह. नीमराना।
13. राजबाला पुत्री मामचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम कोलीला सांगा तह. नीमराना।
14. शेखमोहम्मद पुत्र अब्दुलरहमान जाति सक्का निवासी कोलीला जोगा तह0 नीमराना।
15. सतेन्द्र कुमार पुत्र जयरामसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कोलीला सांगा तह0 नीमराना।
16. सोमदत पुत्र रामप्रसाद जाति अहीर निवासी ग्राम कोलीला सांगा तह0 नीमराना।
17. उपपंजीयक नीमराना।
18. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना।
19. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बर्डोद तह0बहरोड जिला अलवर।

प्रतिवादीगण।

दावा तकसीम एवं हु.इ.दवामी अंतर्गत धारा 53,88,89,188 189 आर0टी0एक्ट0

उपस्थितिः

1. श्री रवीन्द्र सामरिया एड. वादी की ओर से।
2. श्री मुकेश यादव एड.प्रतिवादी सं. 07,08,15,16 की ओर से।

—::प्रारम्भिक निर्णय::—

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है—

1. वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 हाल 120 / 01.59 वाके ग्राम कोलीला सांगा तह0 नीमराना मे मिन वादी का 1 / 4 हिस्सा है तथा शेष हिस्सा सहखातेदारान का है। उक्त ख.न. के तीन तरफ सरकारी रास्ता है, विवादित आराजी का मौके पर कदीम से ही बाहमी बंटवारा किया हुआ है बाहमी बंटवारा के अनुसार वादी अपने 1 / 4 हिस्से पर तरफ उत्तर मे काबिज है तथा 3 / 4 हिस्से पर तरफ दक्षिण मे प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज है। लेकिन आराजी मुतनाजा रिकॉर्ड मे सहखातेदारी मे दर्ज होने के कारण प्रतिवादीगण मिन वादी के हिस्से पर

धिकारी
अलवर)

Sidd/2023

काश्त करने मे बिना वजह मजाहमत पैदा करते है तथा जबरन कब्जा करना चाहते है। मिन वादी ने बाहमी बंटवारा के अनुसार रिकार्ड मे बंटवारा कराने के लिए प्रतिवादीगण से कहा तो दिनांक 18.01.2023 को बंटवारा कराने से साफ इंकार हो गये तथा मिन वादी को जबरन बेदलख कर कब्जा करने की धमकी दी है इसलिए वादी को यह वाद तकासमा आराजी मय हु0ई0दवामी पेश करना लाजिम आया है।

2. अंत मे वादी ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने की प्रार्थना कि है:-
(क) डिक्री तकसीम आराजी इस अमर की फरमाई जावे कि आ.ख.नं. हाल 120/01.59 वाके ग्राम कोलीला सांगा तह0 मे मिन वादी के खातेदारी हिस्सा 1/4 का बाहमी बंटवारे के मुताबिक तकासमा किया जाकर तरफ उत्तर मे मिन वादी का अलग से तित्मबा काटा जाकर वादी को दखल दिलाया जावे। एंव जिस खातेदार के हिस्से पर बैक रहन का अंकन है उसको उसी खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जाकर अलग अलग खाताबंदी की जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर तित्मवा काटे जाने के आदेश फरमाये जावे।

(ख) प्रतिवादीगण को जरिए हुक्म ईम्तनाइ दवामी पाबन्द किया जावे कि वे विवादित आराजी का जब तक विधिवत रूप से तकासमा ना हो जावे तब तक मौके व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाए रखे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण दिलाया जावे।

(घ) अन्य अनुतोष जो बय नजदीक अदालत श्रीमान हो अता फरमाया जावे ।

3. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। बाद तामिल प्रतिवादीगण सं. 07, 08, 15,16 ने जवाब दावा पेश कर वादी के वाद को अस्वीकार करते हुए बताया कि आराजी विवादित का मौके पर बाहमी बंटवारा किया हुआ है तथा बंटवारे के अनुसार ही मौके पर काबिज है। यदि बाहमी बंटवारा के अनुसार रिकॉर्ड मे बंटवारा किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है।

4. जवाब प्रस्तुत होने के बाद उभयपक्ष को सुना गया। हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न नकल जमाबन्दी संवत 2074-77 के अवलोकन से साबित है कि आराजी विवादित पक्षकारान की सामलाती खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है। तथा वादी एंव प्रतिवादीगण ने आराजी विवादित का पूर्व से बाहमी बंटवारा किया जाना स्वीकार किया है। इसलिए मौके पर कुर्रे कायम कराये जाकर कुर्रे कायमी रिपोर्ट लिया जाना उचित प्रतित होता है। वादी का वाद प्रा0डिक्री किये जाने योग्य है।

5. अतः आदेश है कि:-
वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नीमराना को आदेश दिए जाते है कि वो आराजी ख.नं. 120/01.59 वाके ग्राम कोलीला सांगा तह0 नीमराना के मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति मे मौके पर कब्जे काश्तानुसार भूमि के कुर्रे कायम कराये जाकर,कुर्रे कायमी रिपोर्ट न्यायालय हाजा मे नियत दिनांक 13.07.2023 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार,नीमराना को भिजवाई जावे। प्रारम्भिक पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली इंतजार कुर्रे कायमी रिपोर्ट मे दिनांक 13.07.2023 को पेश हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

26/6/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :- मुकुट सिंह (आरररस)

दावा पत्र संख्या	रजू दिनांक	प्रारंभिक निर्णय दिनांक
60/2023	08.02.2023	26.06.2023

उनवान

1. नारायनदास चेला ध्यानदास जाति अहीर निवासी महर्षि बाबा बलदेवदास उदासीन आश्रन खेडा डाबर दक्षिन- पश्चिन दिल्ली-110073।

वादी।

बनाम

1. कल्यान सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी ग्रान कोलीला जोगा तह0 नीनराना।
2. अंगुरू देवी पत्नी नानचन्द जाति नहाजन सा0कोलीला जोगा तह0 नीनराना।
3. आलन पुत्र अब्दुलरहनान जाति सक्का निवासी कोलीला जोगा तह0 नीनराना।
4. इनानुदीन पुत्र अब्दुलरहनान जाति सक्का निवासी कोलीला जोगा तह0 नीनराना।
5. कान्ता बाई पुत्री नानचन्द जाति नहाजन निवासी ग्रान कोलीला जोगा तह0 नीनराना।
6. छाजूरान पुत्र नानचन्द जाति नहाजन निवासी ग्रान कोलीला जोगा तह. नीनराना।
7. दयारान पुत्र नुगली जाति अहीर निवासी ग्रान निवासी ग्रान कोलीला जोगा तह.नीनराना।
8. निहालसिंह पुत्र श्योनारायण जाति अहीर निवासी ग्रान कोलीला जोगा तह0 नीनराना।
9. पवन कुनार पुत्र नानचन्द जाति अहीर नहाजन निवासी ग्रान कोलीला जोगा तह0 नीनराना।
10. फतेहचन्द पुत्र कुन्दनलाल जाति नहाजन निवासी ग्रान कोलीला जोगा तह.नीनराना।
11. बनेसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्रान कोलीला सांगा तह0 नीनराना।
12. नाननसिंह पुत्र रतीरान जाति अहीर निवासी ग्रान कोलीला सांगा तह. नीनराना।
13. राजबाला पुत्री नानचन्द जाति नहाजन निवासी ग्रान कोलीला सांगा तह. नीनराना।
14. शेखनोहम्मद पुत्र अब्दुलरहनान जाति सक्का निवासी कोलीला जोगा तह0 नीनराना।
15. सतेन्द्र कुनार पुत्र जयरानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्रान कोलीला सांगा तह0 नीनराना।
16. सोनदत पुत्र रानप्रसाद जाति अहीर निवासी ग्रान कोलीला सांगा तह0 नीनराना।
17. उपपंजीयक नीनराना।
18. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीनराना।
19. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बर्डोद तह0बहरोड जिला अलवर।

प्रतिवादीगण।

दावा तकसीम एवं हु.इ.दवामी अंतर्गत धारा 53,88,89,188 189 आर0टी0एक्ट0

प्रारंभिक पर्चा डिक्री

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नीमराना को आदेश दिए जाते है कि वो आराजी ख.नं. 120/01.59 वाके ग्राम कोलीला सांगा तह0 नीमराना के मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति मे मौके पर कब्जे काश्तानुसार भूमि के कुर्रे कायम कराये जाकर,कुर्रे कायमी रिपोर्ट न्यायालय हाजा मे नियत दिनांक 13.07.2023 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार,नीमराना को भिजवाई जावे।

28/6/2023

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना